..:: प्रेस नोट ::..

थाना ज्ञानपुर

जनपद भदोही

दिनांक: 25.07.2026

vभदोही पु लस अधीक्षक के निर्देशन में अपरा धयों और अपरा धयों को संरक्षण देने वालों के वरुद्ध चलाए जा रहे अ भयान के तहत, थाना ज्ञानपुर पु लस द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह कर फर्जी और कूट र चत (जालसाजी) दस्तावेजों के आधार पर गंभीर अपराधों के अ भयुक्तों की जमानत करने वाला पेशेवर जमानतदार गरफ्तार

घटना का सं क्षप्त ववरण:-

दिनांक 24.07.2026 को उप-निरीक्षक सत्येन्द्र कुमार राय (थाना ज्ञानपुर) हमराह पु लस बल के साथ माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत एक जमानत के सत्यापन हेतु ग्राम केशवपुर और ग्राम लखनो पहुंचे थे। स्थानीय स्तर पर छानबीन और आम जनता से पूछताछ के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया क जमानतदार लालजी पुत्र सरजू निवासी केशवपुर, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही एक पेशेवर जमानतदार है। यह व्यक्ति आ र्थक लाभ कमाने के उद्देश्य से एक ही संप त्त को बार-बार बंधक के रूप में प्रस्तुत करता था। इसके लए वह फर्जी शपथ पत्र, फर्जी खतौनी और अन्य मूल्यवान कूट र चत दस्तावेज तैयार करता था। इन फर्जी दस्तावेजों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर वह गंभीर अपराधों में सं लप्त अ भयुक्तों को जमानत पर रिहा करवाता था, जिसके बाद अ भयुक्त फरार हो जाते थे।

आपरा धक सांठ-गांठ का खुलासा:-

जांच में पाया गया क जमानतदार लालजी ने शातिर अ भयुक्त मनोज कुमार उर्फ राहुल सैनी पुत्र रण संह, निवासी आवादाग, थाना भवन, जनपद शामली, जो वर्तमान में जिला कारागार ज्ञानपुर में निरुद्ध है, के साथ मलकर एक संगठित गरोह की तरह काम कया। लालजी ने दुर्दांत अपरा धयों को जेल से बाहर निकालने के लए छल-कपट और साजिश के तहत कूट र चत सरकारी कागजात तैयार कए। थानों के अ भलेखों के अवलोकन से पता चला क आरोपी लालजी पूर्व में भी कई गंभीर मुकदमों (जैसे गैंगेस्टर एक्ट,पाक्सो एक्ट,आर्म्स एक्ट, चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आबकारी अ धनियम और एससी/एसटी एक्ट) के अ भयुक्तों की फर्जी तरीके से जमानत ले चुका है।

पंजीकृत अ भयोग:-

इस गंभीर धोखाधड़ी और संगठित अपराध के संबंध में आरोपी लालजी और अ भयुक्त मनोज कुमार उर्फ राहुल सैनी के वरुद्ध थाना ज्ञानपुर पर मु0अ0सं0- 195/26 धारा 316(2)/227/323/338 BNS के तहत संज्ञेय अपराध का मामला पंजीकृत कर व धक कार्रवाई प्रच लत की गई।

* गरफ्तारी का ववरण:-*

श्री अ भनव त्यागी, पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपरा धयों के वरुद्ध चलाए जा रहे अ भयान के तहत श्री शुभम अग्रवाल, अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में थाना ज्ञानपुर पु लस टीम द्वारा आज दिनांक 25.07.2026 को मुकदमे से संबं धत अ भयुक्त की तलाश व दबिश हेतु क्षेत्र में रवाना थे। चे कंग व गश्त के दौरान, समय करीब 11:30 बजे आरटीओ ऑ फस के पास, पु लस टीम को मुख्यालाय की तरफ आता हुआ एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पु लस टीम द्वारा घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को रोका गया, जिसकी पहचान लालजी पुत्र सरजू के रूप में हुई। वांछित अ भयुक्त होने के कारण पु लस टीम द्वारा गरफ्तार कर व धक कार्यवाही की गई।

* गरफ्तार अ भयुक्त का नाम व पता:-*

लालजी पुत्र सरजू निवासी केशवपुर सरपतहां, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही उम्र लगभग 56 वर्ष।

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-*

उ0नि0 श्री श्यामनारायण यादव, का0 अनुराग कुशवाहा थाना ज्ञानपुर, भदोही।